(31)

8001 / 3120 / 18/9/13

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार,
कार्यालय : श्रम कल्याण अधिकारी,
'बी' बिल्डिंग, वरूणालय, करोल बाग,
नई दिल्ली–110005

कमांकः दिजबो/श्र.क.अ./छात्रवृत्ति/2013–14 104938 दिनांक : 13-09-13 / 17

परिपत्र

विषयःदिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को वर्ष 2013–14 के लिये छात्रवृत्ति देने के संबंध में ।

जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान/निगम निर्णय/प्रस्ताव संख्या : 1046, जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान/निगम दिनांक 28.03.1988 द्वारा स्वीकृत दिल्ली जल बोर्ड के ऐसे समस्त नियमित स्थायी/अस्थायी श्रेणी 'सी' व 'डी' के कर्मचारियों, जिनके वेतन का भुगतान बोर्ड के बजट से किया जाता है तथा जिन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में 3 वर्ष लगातार सेवा–अवधि पूरी कर ली है और दैनिक वेतन भोगी एवं मस्ट्रोल कर्मचारी, जिन्होंने एक वर्ष में लगातार 240 दिनों तक दिल्ली जल बोर्ड में कार्य किया है, ऐसे उपरोक्त समस्त कर्मचारियों के आश्रित पुत्र/पुत्रियों 'अविवाहित' को वर्ष 2013–14 में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

छात्रवृत्ति छठी कक्षा या उससे उच्च स्तर पर किसी भी कक्षा/कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री के लिए ही दी जायेगी। सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए गत् परीक्षा में 40 प्रतिशत प्राप्तांक होना अनिवार्य है ।

निर्धारित फार्म ' प्रार्थना–पत्र ' श्रम कल्याण विभाग में पहुँचने की अन्तिम तिथि 31.10.2013 है । प्रार्थना–पत्र निर्धारित फार्म पर ही भेजें । देर से प्राप्त होने वाले अथवा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रार्थना–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा । निर्धारित फार्म की 2–2 प्रतियॉ संलग्न हैं । आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारी इनकी अतिरिक्त प्रतियॉ अपने कार्यालय में फोटोस्टेट कराकर संबंधित कर्मचारियों में वितरित कर दें । छात्रवृत्ति निर्धारित नियमानुसार ही दी जायेगी । छात्राओं के मामले में 40 प्रतिशत प्राप्तांक की सीमा शिथिलनीय है ।

विभागाध्यक्ष केवल उन्हीं कर्मचारियों के प्रार्थना–पत्र इस कार्यालय को भेजें जो उपरोक्तानुसार शर्तों को पूरा करते हो । आवेदन फार्म को संबंधित कार्यालय में डायरी अवश्य किया जाये तथा डायरी संख्या व प्राप्ति की तिथि अंकित की जाये । डी.डी.ओ. के माध्यम से ही प्रार्थना–पत्र श्रम कल्याण विभाग को प्रेषित किया जाये ।

CE(GDF)

Sanjay

गत् वर्ष ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई कि कर्मचारियों को इस पत्र के बारे में समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण वे समय पर आवेदन नहीं कर सके । अतः सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया इस परिपत्र के बारे में अधीनस्थ कर्मचारियों को पूरी तरह से जानकारी दी जाये तथा कार्यालयों/स्टोर्स आदि पर इसकी प्रतियॉ कर्मचायरियों के सूचनार्थ नोटिस–बोर्ड पर चिपकायी जाये । यदि किसी कर्मचारी को इस बारे में सूचना नहीं मिल पाती और निर्धारित तिथि के पश्चात् उसका फार्म प्राप्त करने की तिथि की स्थिति में उसका फार्म अस्वीकृत कर दिया जाता है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

13/7/13
(प्रकाश चन्द्र)
उप निदेशक (श्रम कल्याण)

<u>सभी विभागाध्यक्ष</u>

प्रति कृपया सूचनार्थ :

1. सदस्य प्रशासन /सदस्य वित्त / सदस्य जलापूर्ति / सदस्य
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3. निदेशक प्रशासन एवं कार्मिक/ निदेशक राजस्व/ निदेशक वित्त एवं लेखा
4. मुख्य अभियंता सी–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/वाटर वर्क्स
5. परामर्शदात्री जन सम्पर्क – वरूण पत्रिका में प्रकाशनार्थ
6. सभी यूनियनें ।
7. **EE(EDP)** कृपया इन्टरनेट पर डाले

13/7/13
उप निदेशक (श्रम कल्याण)

13/07/2013